न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 20/2018

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
सवाराम पुत्र किस्तुराराम जाति चौधरी के का0मु0		1. लछीया पुत्र भबुताजी
1. उकी पत्नी सवाराम		2. पुना पुत्र भबुताजी
2. तगाराम पुत्र सवाराम		3. नेनु बेवा भबुताजी
3. हिराराम पुत्र सवाराम		4. मोतीराम पुत्र गमनाजी
4. सायती पुत्री सवाराम		5. डुंगाराम पुत्र थानीयाजी
5. जयन्ति पुत्री सवाराम		6. हंजा पत्नी थानीयाजी
6. पिन्टा पुत्री सवाराम जातिगण चौधरी निवासीगण जोड़ा तहसील आहोर जिला जालोर		7. राजीया पुत्र प्रभुजी
		8. वगताराम पुत्र किस्तुरामजी
		9. पीराराम पुत्र किस्तुरामजी
		10. सोनी पत्नी पीराराम जातिगण चौधरी निवासीगण जोड़ा तहसील आहोर
		11. तहसीलदार आहोर
		12. उप–पंजीयक आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मांगीलाल चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11-2-19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर, आहोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 64/2018 लछिया बनाम तगाराम में पारित आदेश दिनांक 23.05. 2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की सह खातेदारी भूमि हैं। इसी भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पूर्व में एक वाद विचाराधीन था, जो डिक्री हुआ। उसके पश्चात भूमि का बेचान हस्तान्तरण हुआ एवं भूमि के विशिष्ठ हिस्से का कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त निर्णय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विरूद्ध अपील प्रस्तुत हुई, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने भूमि को विभाजित होना बताया। इसके बावजूद अब इसी भूमि को अविभाजित होना बताते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पुनः वाद प्रस्तुत कर दिया तथा एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। रेस्पोडेन्ट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में विपरित तथ्य प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। उक्त निर्णय को रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में चुनौती दी, जिस पर न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 20.07.2018 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 को अपास्त किया तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को दो माह के भीतर निस्तारण करने के आदेश पारित किए हैं। इस कारण अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम व्यादेश दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.06.2018 को अन्तरिम व्यादेश पारित करते हुए जैर अपील आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया गया था। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2018 को रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती दी। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 20.07.2018 को निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण को दो माह के भीतर निस्तारण करने के आदेश दिए हैं।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी/टीए/4889/2018 जालोर लछीया उर्फ लसाराम बनाम उकी में पारित आदेश दिनांक 20.07.2018 के अनुक्रम में अपील अन्तरिम व्यादेश के विरूद्ध पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज़ की जाती है तथा परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है वे उभयपक्षकारान् को सुन कर 2 माह के भीतर विधि सम्मत आदेश पारित करें। तब तक उभयपक्ष मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर